भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com
सत्यमेव जयते

No. 17006/1/2022/JRR-I/Forest Clearance/ 362

Date: - 07.02.2022

To,

APCCF (FP) and Nodal officer (FCA)
O/O PCCF (HoFF),
Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area
Jaipur -302004

Sub : Diversion of 7.534 ha. forest land for the upgradation of Jodhpur Ring Road Section-I (Dangiyawas km 0+000 to Nagaur road Km 74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP /RJ/Road/32975/2018)-reg.

Ref:
(1) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11279 dated 07.02.2022
(2) Assistant Inspector General of Forest, MOEF&CC office letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022
(3) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11748 dated 02.01.2019
(4) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11707 dated 01.01.2019
(5) MOEF&CC, Lucknow office letter No. 8B/Raj/06/30/2018/FC/560 dated 31.12.2018.

Sir,

Please see letter under ref. (5) vide which In-Principal approval for above proposal was given by Forest Department along with some conditions mentioned in the letter. Subsequently DFO Jodhpur raised demand for compensatory afforestation (CA) and Net Present Value (NPV) vide letter under ref. (3) & (4) which was Rs. 20,61,755/- and Rs. 32,99,892/- respectively. Accordingly an amount of Rs. 5361647/- was deposited by NHAI in compliance. The other conditions were also complied and intimated to Forest Department vide letter dated 11.01.2019 and 16.01.2019.

Now vide letter under ref. (1) DFO Jodhpur has raised revised demand for CA and NPV which is Rs. 24,16,907/- and Rs. 50,48,835/- respectively. In this regard it is submitted that as per letter under ref. (2) revised rates of NPV is not applicable in our case. The difference of amount in CA is Rs. 3,55,152/- (2416907- 2061755) which would be paid by NHAI after your approval.

In view of above, it is submitted for your approval to deposit the amount of Rs. 3,55,152/- as the difference in CA.

Thanking you

Encl:- As above

Yours faithfully,

(Ajay Bishnoi)
Project Director

Copy to:-
1. CGM (Tech), NHAI RO Jaipur
2. CCF, Forest Department, Jodhpur
3. DFO, Jodhpur
4. M/s Sadbhav Jodhpur Ring Road Section-I
5. IE M/s CEG Ltd.

कार्यालय उप वन संरक्षक,जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी सोनसेल फोन न.0291-2630703 ई-मेल dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(104)एफ.सी.ए / उवरां / 2019-20 / 11273 दिनांक: 07/02/2022

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
जोधपुर 188,उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर-342011।

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफ.सी. / 560 दिनांक 31.12.2018 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (परिपत्र)2005 / सयुक्त रोड / एफ.सी.ए. / पार्ट-8 / 15-27 दिनांक 07.01.2022 एवं Government of India, Ministry of environment, Forest and Climate Change (Forest Covervation Division) Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi cicular dated 06-01-2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनउ का पत्रांक 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफ.सी. / 560 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण **Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)** में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की बढ़ी हुई राशि जमा करवाकर पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें :-

1. **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 =15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पंर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख -रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।

   अतः इस हेतु 1,60,400 / -प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 24,16,907 / - ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

2 **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 एफ. सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70140 = 7.534X670140 रूपये = 50,48,835/- (अक्षरे पचास लाख अडतालिस हजार आठ सौ पैतीस रूपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद **नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।**

कृ0पृ0उ0

Scanned with CamScanner

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रुपये 53,61,647/- यू.टी.आर. संख्या CNRBR52019010500584425 दिनांक 05.10.2019 जमा करा दी गई। अतः बिन्दु संख्या 1 और 2 के बढी हुई राशि रुपये 7465742/- के अनुसार रुपये 21,04,095/- /-(अक्षरे इक्कीस लाख चार हजार पचानवे रुपये मात्र) को बढी हुई दर के अनुसार जमा कर ऑनलाइन ई-रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु बढी हुई दर के अनुसार जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तद्उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली बढी हुई राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति पर यू.टी.आर. संख्या अंकित कर उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक
जोधपुर

कनांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/30/2018/एफ.सी./ 560 दिनांक: 31.12.2018

सेवा में,
शासन सचिव (वन),
राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय,
जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/32975/2018

विषय : **Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan.**

सन्दर्भः शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक–प.1(67)वन/2018, दिनांक–28.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक – प.(67)वन/2018, दिनांक–29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–19.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनपुालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 7.534 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन 63 वृक्षों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (7.537 x 2 = 15.068 ha.) अर्थात् 15.068 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लाट सं0 534 की वन भूमि सम्मिलित नहीं है।

31/12/18

Scanned with CamScanner

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

7. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11. कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक–28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

/

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर वन प्रभाग, जोधपुर, राजस्थान।
4. मैनेजर (टेक्निकल) भारती राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू 188 उमेद हेरीटेज, रत्नदा, जोधपुर, राजस्थान।
5. वैयक्तिक सहायक,पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

31/12/18

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned with CamScanner

MODEL COST ESTIMATE FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

ON DEGRADED FOREST LAND

UNIT :	50 Ha
PERIMETER:	60 M/Ha.
LABOUR RATE:	Rs. 252/Day
COST ESTIMATE:	In Rs./Ha.

0 YEAR (ADVANCE ACTION)

S.No.	ITEM OF WORK	RATE (Rs.)	LABOUR	MATERIAL	TOTAL
1	Collection of Basic Datas for Microplanning and carrying out joint forest managment activities.	575/ ha.	588	50	638
2	Survey of area,layout of contour trenches, burrow pits and making of segments / plots	463 / ha.	463	50	513
3	Fencing by stone wall and or by ditch.		0	0	
	a.) Stone wall fencing 1.20 m high 0.80 m at base & 0.60 at top (on an average 30 m/ha.)	225 / rmt	7560	0	7560
	b.) Ditch fencing 1.20m deep, 1.50m wide at top & 0.90m at bottom (on an average 30m/ha.)	245.16 / rmt	8238	0	8238
4	Cost of raising 770 seedlings	3.93/ plant	2158	1105	3263
5	Digging up 300 rmt Staggered Contour Trenches 45x45cm cross section on middle slopes and V-ditch as per site	28.28 / rmt	9505	0	9505
6	Digging of 300 pits size: 0.45x(0.4+0.5/2)2 cum	17.6 / pit	5913	0	5913
7	Cost of collection and purchase of grass and other seeds of trees and shrubs	Prorata	0	196	196
8	Treatment of Nallas by constructing series of Checkdams of dry ramdom trubble / earthan / brushwood	Prorata	735	0	735
9	Construction of Thatched cattle guard hut	Prorata	136	78	214
10	Purchase or construction of water storage tank.	Prorata	79	48	127
11	Labour aminities	Prorata	92	86	178
12	Watch and ward for 4 months @ 15325/-	Prorata	1450	0	1450
13	Purchase of Tools and Plants		0	110	110
14	Construction of 50 mt. long contour dykes of 30X30 cm. cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub	30.46 / rmt.	1706	0	1706
15	Construction of the pillars of appropiate size for gate.	Prorata	80	97	178
16	Purchase of signboards & fixing at site	Prorata	32	92	124
17	Misc. and unforeseen expenses Including POL for vehicles	Prorata	280	108	388
	TOTAL YEAR 0		39016	2021	41037
19	Administrative charges 10%		0	0	4104
			0		45141

Scanned with CamScanner

	YEAR I (PLANTING YEAR)				
			0	0	
1	Collection of datas regarding Impact assesment and strengthening Joint Forest Management.	Prorata	0	73	73
2	Maintenance of 770 seedling in nursery	2.11 / plant	1674	134	1808
3	Digging of 400 pits of size 0.45 (4+5/2)*2 Cum	17.73 / pit	7884	0	7884
4	In situ soil and moisture conservation measures like check dam, nadies, earthen bunds etc.	Prorata	2864	243	3107
5	Digging of 30cmX30 cm cross section trench along inner side of stone wall fencing and seed sowing (60 mt./ ha.)	12.43 per rmt.	814	19	833
6	Sowing/dibbling of seeds of grass /thorny trees species on the mounds of contour trench and ditch fencing etc (370 m / ha.)	0.59/m	231	13	244
7	Purchase of insecticide and Fertilizers.	0.82/ plant	0	577	577
8	Sowing of pellats of grass/piece of seed mud cakes of grass seeds between row of pits by ploughing and furrowing.	Prorata	570	0	570
9	Transportation of 700 plants from nursery to planting site	1.41/ plant	1060	45	1105
10	Planting of 700 seedlings including Refilling of pits	4.09 / plant	3213	0	3213
11	Watering (if sufficient rains are not there) & application of insecticide in 700 plants at the time of planting.	3.18/ plant	2485	0	2485
12	Restoration of natural regeneration by making crescent shapad mounds on the lower slopes of seedling and sapling and making ring tranches around the natural trees / shrubs. (150 plants / ha)	4.1 / plant	689	0	689
13	Making of crescent shaped mounds below planted sapling after planting and dibbing of 3 seeds of throny tree species. (700 plants / ha)	3.58 / plant	2807	0	2807
14	Weeding and hoeing of 700 plants in 2 time. Repalring of plants mound	3.57/ plant	5598	0	5598
15	Weeding on contour trenches and 'V' ditches and spacement / singling.	Prorata	592	0	592
16	Raising of 70 seedilings in nursery for casualty replacement in year-2 (10% of 700)	3.94 / seedling	196	101	297
17	Watch and ward for 12 months @ Rs.15325/-- month	prorata	4351	0	4351
18	Labour aminties and hut repair.	Prorata	364	49	414
19	Construction of approach road / inspection path	Prorata	428	0	428
20	Construction of gate and fixing of sign board	Prorata	570	80	651
21	Micellaneous and unforeseen expenditure.	Prorata	174	32	206
	TOTAL YEAR 1		36566	1365	37931
22	Administrative charges 10%		0	0	3793
			0	#VALUE!	41724

Scanned with CamScanner

FIRST YEAR MAINTENANCE (YEAR 2)

			0	0	
1	Collection of datas regarding impact assesment and strengthening Joint Forest Management.	Prorata	0	73	73
2	Maintenance of 70 Seedling in nursery for casualty replacement in year-2	2.11 / plant	143	20	163
3	Repair of fencing	Prorata	252	0	252
4	Casualty replacement 70 plants including redigging of pits, transportation planting, watering and application of insecticides	11.55/ plant	862	39	901
5	Weeding and Hoeing in 700 plants in pits two times	3.57/ Plant	5598	0	5598
6	Watch and ward for 12 months @15325/-	prorata / ha	4351	0	4351
7	Misc. and unforeseen expences including (additional watering and forest protection measures etc.	prorata	380	238	617
	TOTAL YEAR 2		11587	369	11956
8	Administrative Charges 10%		0	0	1196
	TOTAL		0	0	13152
	SUBSEQUENT MAINTENANCE (YEAR 3 TO 12)		0	0	
1	Collection of datas regarding impact assesment and strengthening Joint Forest Management.	Prorata	0	73	73
2	Watch and ward for 12 months @ 15325/-	prorata	4351	0	4351
3	Misc.and unforseen expenditure including (repairing of fencing / structures pruning etc.	prorata	776	289	1065
4	TOTAL YEAR 3.		5128	362	5489
5	Administrative charges 10%				549
				Total	6038

	GRAND TOTAL	
	0Year	45141
	First Year	41724
	Second Year	13152
	Third Year	6038
	Fourth Year	6038
	Fifth Year	6038
	Sixth year	6038
	Seventh year	6038
	Eighth year	6038
	Ninth Year	6038
	Tenth Year	6038
	Eleventh Year	6038
	Twelth Year	6038
	TOTAL	160399
	Say	160400

Scanned with CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 6th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All States Governments/ Union Territory Administration

Sub: Revision of rates of Net Present Value – reg

Sir,

I am directed to invite your attention to Hon'ble Supreme Court's order dated 28.03.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1996 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India and Ministry' guidelines dated 05.02.2009 wherein rates to Net Present Value (NPV) to be realized in lieu of diversion of forest land have been fixed based on the outcome scientific assessment of ecosystem goods and services. Hon'ble Supreme Court in the said order has also directed the MoEF&CC for upward revision of the NPV rates.

2. In compliance of order dated 28.03.2008 of Hon'ble Court and with the approval of the competent authority, the following revised NPV rates have been prescribed for levying NPV in lieu of diversion of forest land:

Table: Revised NPV rates based on fitment factor of 1.53

(in Rs.)

Eco-Class	Very Dense	Dense	Open
Class-1	1595790	1436670	1116900
Class-II	1595790	1436670	1116900
Class-III	1357110	1228590	957780
Class- IV	957780	861390	670140
Class-V	1436670	1292850	1005210
Class-VI	1516230	1372410	1069470

Scanned with CamScanner

Eco-Class-I:	Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi-evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
Eco-Class-II:	Littoral and Swamp Forests
Eco-Class-III:	Tropical Dry Deciduous Forests
Eco-Class-IV:	Tropical Torn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-V:	Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-VI:	Montane Wet Temperature Forests, Himalayan Moist Temperature Forests, Himalayan Dry Temperature Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

3. NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount shall be five times the NPV payable for the adjoining forest area;

4. The proposals under the following categories are exempted from NPV to the extent as mentioned in the list below:

Category	Conditions
i. Schools	Full exemption upto 1 ha. of forest land, provided: a. no felling of trees is involved; b. alternate forest land is not available; c. the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and d. the area is outside National Park/ Sanctuary
ii. Hospitals	
iii. Children's playground of non-commercial nature.	
iv. Community centres in rural areas.	
v. Over-head tanks	
vi. Village tanks	
vii. Laying of underground drinking water, irrigation and PNG pipeline upto 4 inch diameter	
viii. Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><td>ix. Relocation of villages form the National Parks/ Sanctuary to alternate forest land</td><td colspan="2">Full exemption</td></tr>
<tr><td>x. Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area.</td><td colspan="2">Full exemption, provided:-
(a) area is outside National Park/ Sanctuary;
(b) no mining lease is approved/signed in respect of this area;
(c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee;
(d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and
(e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests.</td></tr>
<tr><td>xi. Laying of underground optical fiber cable</td><td colspan="2">Full exemption, provided:
(a) no felling of trees is involved; and
(b) area falls outside National Park / Sanctuary.</td></tr>
<tr><td>xii. Pre-1980 regularization of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages</td><td colspan="2">Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF&CC's Guidelines dated 18.9.1990.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">xiii. Underground mining</td><td>Surface strain predicted by 3-D subsidence prediction model</td><td>NPV to be paid</td></tr>
<tr><td>i. Up to 5mm/m</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>ii. 5mm to 10 mm/m</td><td>10% of normal rates</td></tr>
<tr><td>iii. 10mm/m to 15 mm/ m</td><td>25% of normal rates</td></tr>
<tr><td>iv. 15 mm/m to 20 mm/m</td><td>50% of normal rates</td></tr>
<tr><td>v. more than 20 mm/m</td><td>At Normal rates</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

xiv. Wind Power Projects	50% at the minimum NPV rate, provided, minimal tree felling is involved, irrespective of the eco-class in which the project lies.
xv. Hydroelectric Projects up to 25 MW capacity	50% of the applicable rates of the forest land actually diverted for setting up of such projects, provided, the project involves felling of not more than 5 trees per hectare.
xvi. Field Firing Range (FFR) of Defence Ministry not involving felling of trees and no likelihood of destruction of forests	At the rate of 20 % of the normal rates of NPV for the forest areas falling within the impact zone. The forest areas falling within safety zone of FFRs shall be fully exempted from the requirement of payment of NPV
xvii. The area of riverbed in a proposed water reservoir, that is to be under permanent submergence throughout the year	50 per cent of the normal rate applicable to the area.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Asst. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UTs
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs
3. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEF&CC
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi
5. Guard File

Scanned with CamScanner

GIPCA105

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर- 302004

क्रमांक: एफ. 16(परिपत्र)2005 / एफसीए / प्रमुवसं / पार्ट 8 / 15-27 दिनांक 7/1/2022

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / जोधपुर
/ उदयपुर / कोटा / अजमेर / भरतपुर / बीकानेर।

मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर (वन्यजीव)
/ उदयपुर (वन्यजीव) / कोटा (वन्यजीव) /
सरिस्का टाईगर रिजर्व, मुख्यालय-अलवर एवं
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाईमाधोपुर।

विषयः-वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार से प्राप्त [illegible]
दिशा-निर्देशों / परिपत्रों के संबंध में, Revision of rates of Net Present Value [illegible]

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सहायक महानिरिक्षक वन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3 / 2011-FC(Vol-I) दिनांक [illegible] 2022 से मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.03.2008 की पालना के क्रम में एनपीवी की दरें संशोधन किया गया है। अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में एनपीवी की गणना संशोधित दरों के अनुसार की जाकर की जाकर मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
[illegible]
राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक जोधपुर क्रमांक 5884 दिनांक 24/01/2022

FCA 21/1/22

क्रमांक: एफ. 16(परिपत्र)2005 / एफसीए / प्रमुवसं / पार्ट-8 / 28-107 दिनांक 7/1/2022
प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. समस्त उप वन सरंक्षक गण राजस्थान।

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

" कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर" दिनांक:- 13/1/22
क्रमांक:- 257-63
प्रतिलिपि संभागाधीन समस्त उप वन संरक्षकों को प्रेषित कर निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा NPV-दरों में बढ़ोतरी कर जारी दिशा-निर्देशों को FCA प्रस्तावों में पालना सुनिश्चित करावें।

उप वन संरक्षक (विकास)
कार्यालय मु.व.सं., जोधपुर

D:\Dharmendra Computer Office Data\Office documents\New Current File New [illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 19th January, 2022

To

The Additional Chief Secratry (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All State Governments and Union Territory Administrations

Sub: Date and stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV)- reg

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 6.01.2022 wherein revised rates of NPV were conveyed to all State Govts/UTs and to inform that the revised rates of NPV are applicable for all proposals, where:

i. In-principle approval under Section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been obtained after 06.01.2022, or

ii. In-principle approval under Section 2 (ii) of the FC Act was obtained more than five years ago, i.e. on or before 06.01.2017, but Stage–II approval has not been obtained as on 06.01.2022.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments and Union Territory Administrations
2. The Regional Officer, All integrated Regional Offices of the MoEF&CC
3. The Nodal Officer (FCA), All State Governments and Union Territory Administrations
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकमेल फोन नं 0291 2636753 ई मेल dfojodhpur@gmail.com

क्रमांकः एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2018/ 11748 दिनांक 2/1/19

निमित्

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर
188,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा
जोधपुर–342011

पत्रां 016 दिनांक 2.1.18

पुर्वान(I)

विषयः Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I. Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan.

प्रसंगः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8बी/राज./06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुवसं एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं 4279–80 दिनांक 01.01.2019, मुवसं जोधपुर का पत्र सं. 30 दिनांक 01.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 11707 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 के क्रम मे, इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना हेतु आपको अवगत कराया गया है। उक्त शर्तो मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

उक्त पत्र की शर्त के बिन्दु संख्या 1 में 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 1,64,100/–रूपये प्रति हैक्टर की दर के स्थान पर 1,36,830/–रूपये प्रति हैक्टर से राशि 20,61,755/–-रूपये कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन जमा करावे।

शेष सभी शर्ते एवं तथ्य यथावत रहेगें।

भवदीय
(हनुमानाराम)
उप वन सरक्षक
जोधपुर

क्रमांकःसम/ दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन सरक्षक
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, सर्दी ओनवर्न फोन नं 0291 2636753 ई मेल dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ( )एफ.सी.ए / उवसं / 2018 / 11707 दिनांक: 01/01/2019

निमित्त

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर
188,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा
जोधपुर--342011

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति प्रमुवस एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं. 4279–80 दिनांक 01.01.2019 , मुवसं जोधपुर का पत्र सं 30 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र सं. 8बी / राज / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018 से निम्नलिखित शर्ताधीन उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र से अधिरोपित शर्तो की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि उच्च कार्यालय का उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् लिखा जा सके. शर्तो एवं वांछित पालना का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 =15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख –रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।

    अतः इस हेतु 1,64,100 / –प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 24,72,659 / –- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5--3 / 2007 / एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली मे जमा करायी जानी है।

    अतः प्रस्तावित 7.534 हैक्टर वनभूमि के लिए 4.38 लाख रूपये प्रति हैक्टर की दर से कुल राशि 32,99,892 / --रूपये ऑनलाइन कैम्पा के निर्धारित खाते में जमा करायी जावें।

    (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदउपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

    अतः उक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0पी0 की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अतः इस क्रम में सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें।

3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है।
अतः इस क्रम में भारत सरकार के पत्र सं. 506 दिनांक 19.11.2018 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित अनुसार सक्षम राजस्व अथारिटी से जारी किया गया उक्त आशय का अण्डर टेकिंग प्रस्तुत किया जावे कि "ग्राम बडली के खसरा न0 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नहीं है।"

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वनविभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी दस्तावेजो सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।

इस क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत् वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय से वांछित कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावे ताकि तदानुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जा सके।

5. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमास्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

इस क्रम में अक्षरशः पालना करने हेतु वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि IRC के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बेन्च, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दी गयी आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा–निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

7. वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वनविभाग की देख रेख मे किया जायेगा।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

अतः इस क्रम मे वांछित मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत की जावे ताकि अग्रिम वांछित कार्यवाही की जा सके।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

10 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यानुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जावें। तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लघंन न किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत् वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0 (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न किये जाने बाबत् वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।

12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 के निर्देशो की अनुपालना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रो की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–1.सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति

2.अति.प्रमुवसं,नोडल एफसीए के पत्र दिनांक 01.01.2019 की प्रति

भवदीय

(हनुमानाराम)
उप वन सरक्षक
जोधपुर

क्रमांकःसम /
दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन सरक्षक
जोधपुर